एपीडा
APEDA

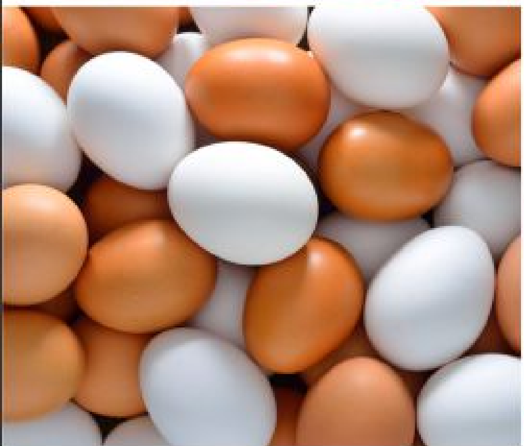

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
2014-15

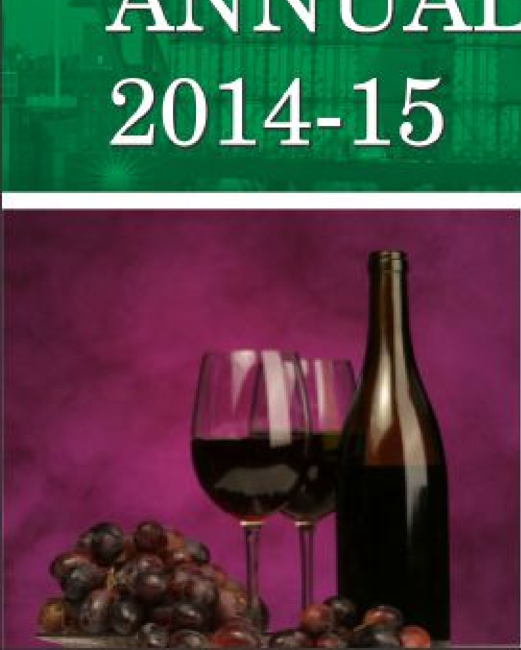
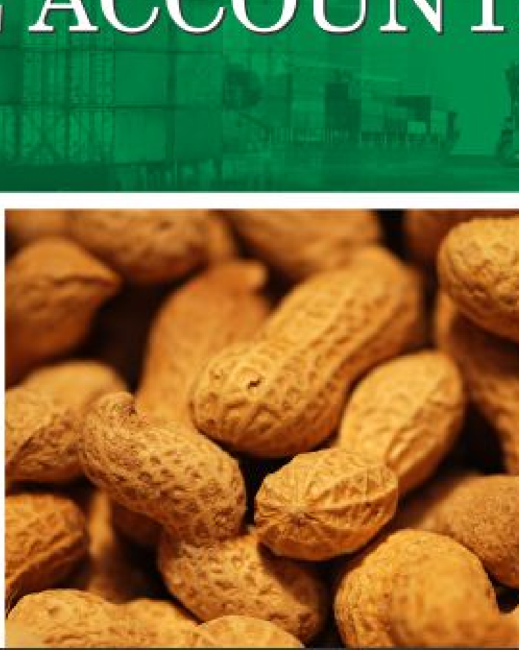
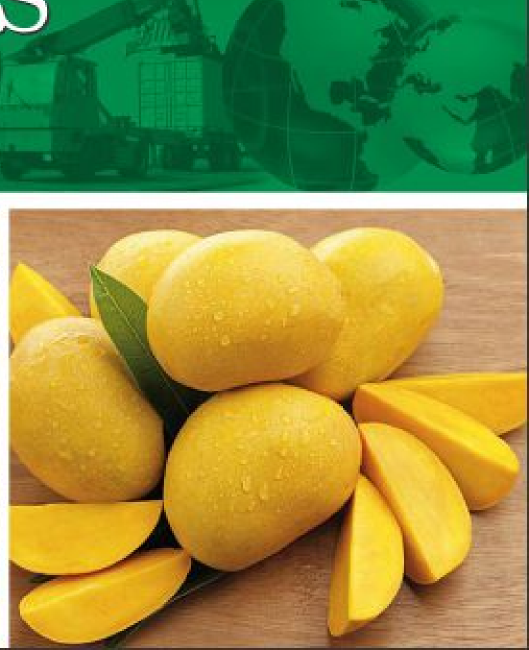

विषय सूची

1.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	1
2.	तुलन–पत्र	4
3.	आय और व्यय लेखा	5
4.	अनुसूचियाँ	6
5.	प्राप्ति एवं अदायगी लेखा	17
6.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24
7.	आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	26

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तों) के अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) साथ पठित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 18 (2) के तहत हमने 31 मार्च 2015 के अनुसार एपीडा के संलग्न तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आयु आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण एपीडा के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरादायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित एक राय अभिव्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखा प्रतिपादन पर केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धतियों के साथ समनुरूपता, लेखा मानकों तथा प्रकटीकरण प्रतिमानों इत्यादि पर टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। वित्तीय लेन–देनों पर विधियों, नियमों एवं विनियमों (उपयुक्तता और नियमित) के अनुपालन के संबंध में तथा कार्यकुशलता–सह–कार्यप्रदर्शन पक्ष, इत्यादि, यदि किसी, पर लेखापरीक्षा आख्याएं निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथकत: प्रतिवेदित की जा रही है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि लेखापरीक्षा का नियोजन तथा निष्पादन इस संबंध में यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने हेतु करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याविवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्शनकारी साक्ष्यों की, परीक्षण आधार पर जांच सम्मिलित होती हैं। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आंकलन के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता हैं। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय हेतु एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
   - (i) हम समस्त सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर चुके हैं, जो कि हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।
   - (ii) इस रिपोर्ट द्वारा विचार किया गया तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पुस्तक रूप में पंक्तिबद्ध किया गया है।
   - (iii) हमारी राय में, एपीडा द्वारा समुचित लेखा बहियां और अन्य सम्बद्ध अभिलेखन एपीडा अधिनियम, 1985 की धारा 18 (2) के अधीन अपेक्षित अनुसार अनुरक्षित किए गए हैं, जहां तक इन बहियों की जांच से यही स्पष्ट होता है।
   - (iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलनपत्र

(1) वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची–4) ₹ 11.09 करोड़

1.1 उपरोक्त में, वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 हेतु सेवाकर भुगतान करने हेतु एपीडा की सांविधिक देयता सम्मिलित नहीं है। आवश्यक विवरणों के अभाव में, सेवा कर की देयता की वास्तविक धनराशि की संगणना लेखा में नहीं की गई है।

1.2 उपरोक्त में वर्ष 2014–15 हेतु, ग्रेच्यूटी तथा संचित अवकाश नकदीकरण की धनराशि, क्रमश: रु 4.18 करोड़ तथा रु. 2.74 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित है। इन प्रावधानों का सृजन बिना किसी वास्तविक मूल्यांकन के किया गया है जो स्वतंत्र निकायों हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लेख का सामान्य प्रारुप तथा मानक लेखा गणना (ए एस) – 15 का उल्लंघन है। किसी वास्तविक मूल्यांकन के अभाव में लेखा परीक्षक इन प्रावधानों की उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

1.3 उपरोक्त में, वर्ष 2007–08, 2009–10 तथा 2010–11 के समयावधि हेतु, व्यय नहीं की गई अनुदान/

सहायता धनराशि को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को वापिस नहीं लौटाने के कारण एपीडा द्वारा देय दण्डात्मक ब्याज की धनराशि रु. 2.12 करोड़ को चालू देयताओं एवं प्रावधान में कम तथा इस धनराशि को कापर्स/पूंजी निधि में अधिक दर्शाया गया है।

उपरोक्त मुद्दे वर्ष 2013–14 हेतु लेखा के लेखा–परीक्षण के दौरान भी उठाए गए थे, तथापि प्रबंधन द्वारा इस संदर्भ में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

2. **आस्तियां –**

वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (अनुसूची – 7) – रुपए 132.62 करोड़।

उपरोक्त में, मोदी पुरम, मेरठ में बासमती निर्यात विकास निधि (बीईडीएफ) प्रयोगशाला में चावल में, भारी धातुओं के परीक्षण हेतु 'इंड्क्टिविटी कपल्ड– प्लाज़्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर (आईसीपी – एम एस) की अधिप्राप्ति तथा प्रसंस्थापन हेतु एपीडा द्वारा व्यय की गई रुपए 1.58 करोड़ की धनराशि सम्मिलित नहीं है। इस धनराशि को विशेष रिजर्व से विकलित किया गया है। परिणामस्वरुप वर्तमान आस्तियां, ऋण अग्रिम इत्यादि में इस धनराशि को कम तथा रिर्जव एवं सरप्लस में रुपए 1.58 करोड़ भी धनराशि को अधिक दर्शाया गया है।'

(ख) सामान्य

1. **बासमती विकास निधि** : – वाणिज्य मंत्रालय ने यह निर्णय (31.10.1995) लिया कि बासमती चावल की संविदाओं का अनिवार्य रुप से पंजीकरण किया जाए तथा निर्यातकों से लिया जाने वाले पंजीकरण शुल्क को अलग से बासमती विकास निधि बनाकर उसमें इस धनराशि को रखा जाए। इस निधि का उपयोग अन्तर्रराष्ट्रीय स्तर पर 'बासमती' नाम का संरक्षण करने हेतु अतिलंघन विरुद्ध मामलों में विधिक कार्रवाई करने तथा संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में किया जाए। पंजीकरण शुल्क एपीडा द्वारा एकत्र किया जाता है तथा बी डी एफ लेखा में जमा किया जाता है। बी डी एफ में व्यय का अनुरक्षण मंत्रालय द्वारा बनाई गई समिति करती है। लेखा परीक्षण में यह विदित हुआ कि दिसंबर, 1995 से एपीडा द्वारा बीडीएफ को भिन्न वित्तीय विवरणों के अर्न्तगत रखा जा रहा है। यद्यपि यह कोई कानूनी मान्यता नहीं रखता है। बीडीएफ लेखा का लेखा परीक्षण एपीडा द्वारा नियुक्त की गई एक अतिरिक्त स्वतंत्र फर्म द्वारा किया जा रहा है।

   जैसा कि बीडीएफ लेखा को एपीडा के लेखा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, यद्यपि एपीडा द्वारा बासमती चावल के निर्यात हेतु पंजीकरण शुल्क एकत्र किया जा रहा है। इसके प्रारंभ से ही सी ए जी द्वारा उसकी लेखा–परीक्षण नहीं किया जा रहा। यह लेखा–परीक्षण बीडीएफ लेखा में किए गए लेन–देन के संदर्भ में समुचित ढंग से कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता है।

   उपरोक्त मुद्दे वर्ष 2013–14 हेतु लेखा के लेखा–परीक्षण के दौरान भी उठाये गए थे तथापि प्रबंधन द्वारा इस संदर्भ में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

2. 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु एपीडा के लेखों को भारत के नियंत्रण एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से जारी किए गए वर्ष 2013–14 हेतु एपीडा की वार्षिक रिपोर्ट में लेखा परीक्षा रिपोर्ट का सलंग्नक सम्मिलित नहीं था।

(ग) सहायता अनुदान

एपीडा ने वर्ष 2014–15 के दौरान सहायता अनुदान हेतु रु. 131.00 करोड़ (130.00 करोड़ रुपए नियोजित और एक 1.00 करोड़ रुपये गैर नियोजित) केन्द्र सरकार से प्राप्त किये। वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने सम्पूर्ण अनुदान धनराशि का उपयोग किया।

(घ) प्रबंधन पत्र

कमियां अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गयी है, उनको एपीडा अध्यक्ष के ध्यान में प्रबन्धन पत्र के द्वारा लाया गया है जो अलग से समाधान उचित कार्रवाई हेतु जारी किया गया है।

(v) पूर्व अनुच्छेदों में हमारे परीक्षणों के संदर्भ में, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलनपत्र और आय एवं व्यय लेखा प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा इस रिपोर्ट में शामिल किये गये प्राधिकरण के बहीखातों से मेल खाते हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्णित वित्तीय विवरण के साथ पठित गणना नीतियां और लेखे पर टिप्पणियां और ऊपर वर्णित उल्लेखनीय मामले तथा अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले, भारत के सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरुप निम्नलिखित के संबंध में वास्तविक और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

क. जहां तक की यह 31 मार्च 2015 को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तुलन–पत्र के मामले में और

ख. जहां तक की यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय और अधिशेष के संबंध में।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से

Tanuja Mittal

(तनुजा एस मित्तल)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

एवं भूतपूर्व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–1, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11 दिसम्बर, 2015

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

1. आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012–13 से एपीडा का कोई आंतरिक लेखा परीक्षण नहीं कराया गया है। वर्ष 2014–15 हेतु एपीडा का आंतरिक लेखा परीक्षण ब्राह्य– स्रोत एजेंसी द्वारा किया गया जो अधिक विस्तृत नहीं था तथा इसके कार्य–क्षेत्र में एपीडा के विभिन्न प्रभागों के लेखा–परीक्षण सम्मिलित नहीं था।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

एपीडा की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्न कमियां अवलोकित की गईं–

(क) एपीडा द्वारा निर्गमित सहायता अनुदान राशि हेतु अनुप्रयोग प्रमाणपत्रों के संचयन की प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

(ख) भूमि तथा भवनों के अभिलेखन के रख–रखाव की प्रणाली अपर्याप्त है।

(ग) एम ई एस प्रणाली उपलब्ध में नहीं है। नियोजन निधि को नियंत्रित करने हेतु कोई रजिस्टर इत्यादि नहीं बनाया गया है।

(घ) फोरेक्स अग्रिम रजिस्टर को नियमित आधार पर बनया तथा अनुरक्षित नहीं किया गया है।

(ड़) भुगतान वाउचरों की स्वीकृति प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(च) लेजर लेख में अशुद्ध प्रविष्टि के मामले देखे गए हैं।

(छ) भारत में आयोजित मेलों के संदर्भ स्पष्ट दिशा–निर्देशों का अभाव है।

3. अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जांच प्रणाली

वर्ष 2014–15 के दौरान प्राधिकरण द्वारा अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की गई।

4. संपति–सूचिका की भौतिक जांच प्रणाली

संपत्ति–सूचिका नहीं है।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान की नियमितता

(क) एपीडा अपने सेवाकर देयता के भुगतान में नियमित नहीं है।

(ख) एपीडा अपने लेबर (श्रम) सेस देयता के भुगतान में नियमित नहीं है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

तुलन पत्र

31 मार्च, 2015 की तिथि अनुसार

(राशि रु. में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
समूह/पूंजी निधि तथा देयताएँ			
समूह/पूंजी निधि	1	1,284,134,956	1,160,274,533
संचय तथा अधिशेष	2	35,581,391	48,462,581
निर्धारित/प्रदत्त निधियाँ	3	109,834,515	120,624,396
चालू देयताएं और प्रावधान	4	110,852,122	104,461,537
योगः रु.		**1,540,402,984**	**1,433,823,047**
आस्तियां			
अचल आस्तियां	5	92,440,844	96,133,055
निर्धारित/प्रदत्त/निधियों से निवेश	6	121,801,720	131,397,851
चालू आस्तियां, ऋण अग्रिम इत्यादि	7	1,326,160,420	1,206,292,141
योगः रु.		**1,540,402,984**	**1,433,823,047**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
आकस्मिक देयताएं तथा खातों पर टिप्पणियां	18		

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

आय और व्यय लेखा

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु

(राशि रु. में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
अनुदान / आर्थिक सहायता	8	1,310,000,000	1,160,000,000
शुल्क / अंशदान	9	127,854,762	115,795,242
रायल्टी ,प्रकाशन इत्यादि से आय	10	12,750	5,452
अर्जित ब्याज	11	102,970,474	88,291,081
अन्य आय	12	88,694,767	83,713,610
पूर्व अवधि आय	18	8,620	951,667
योग: रू (क)		**1,629,541,373**	**1,448,757,052**
व्यय			
प्रतिष्ठान व्यय	13	100,860,497	80,651,047
अन्य प्रशासनिक व्यय	14	93,670,682	32,356,210
अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	15	1,300,009,014	1,150,016,688
वित्तीय प्रभार	16	65,713	49,120
मूल्य ह्रास			
वर्ष के लिए	5	10,813,898	9,064,548
पूर्व अवधि व्यय	18	966,872	-
योग: रू (ख)		**1,506,386,676**	**1,272,137,613**
व्यय पर आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		123,154,697	176,619,439
समूह / पूंजीगत कोष में स्थानान्तरण		-	-
समूह / पूंजीगत कोष में शेष की अधिकता / (घाटा) के लेखा को डाला गया		**123,154,697**	**176,619,439**

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूचियाँ जो तुलनपत्र का अंश हैं

31 मार्च, 2015 की तिथि अनुसार

अनुसूची 1 – समूह/पूंजी निधि

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,160,274,533		979,835,722	
जोड़े/(घटाएं) : आय और व्यय खाते से अंतरित शुद्धआय/(व्यय) का शेष पूंजीगत व्यय	123,154,697		176,619,439	
जोड़े : बट्टे खाते में डाला गया पूंजीगत व्यय जो अब पूंजीकृत किया	2,305,726		594,032	
जोड़े: गत वर्ष का मूल्यह्रास सामंजस्य	-		2,505,459	
घटाएं: गत वर्ष का मूल्यह्रास सामंजस्य	-		(229,222)	
जोड़े: गत वर्षों की संशोधित प्रविष्टियां	-		524,000	
जोड़े: गत वर्षों की संशोधित प्रविष्टियां	-		425,103	
घटाएं: गत वर्षों की संशोधित प्रविष्टियां	(1,600,000)	1,284,134,956	-	1,160,274,533
(टिप्पणी लेखापृष्ठ संख्या 23 पर देखें)				-
सामान्य राजस्व से अंतरित	-			-
वर्ष के अंत में शेष		**1,284,134,956**		**1,160,274,533**

अनुसूची 2 – रिजर्व तथा अधिशेष

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. पूंजीगत रिजर्व :				
पिछले लेखा के अनुसार	10,440,129		11,600,143	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां (विस्तृत अनुसूची 5 में)	(1,044,013)	9,396,116	(1,160,014)	10,440,129
2. विशेष रिजर्व :				
पिछले लेखा के अनुसार	38,022,452		33,088,548	
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,983,429		4,933,904	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	15,820,606	26,185,275	-	38,022,452
3. सामान्य आरक्षित :				
पिछले लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-	
पूंजी निधि को अंतरित	-		-	
योग : रु		**35,581,391**		**48,462,581**

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूचियाँ जो तुलनपत्र का अंश हैं

31 मार्च, 2015 की तिथि अनुसार

अनुसूची 3 – निर्धारित/प्रदत्त निधियां

(राशि रु. में)

निधि	निधि–वार ब्यौरा											
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय निधि	कलस्टर मरम्मत कार्य	टीआईडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम	एएसआई ईडीई	अनुदान एमएआई फेयर	अनुदान एमआई ट्रेनोब्लिटी	टीईएफएस	अनुदान एमएआई एम ओ सी	ऑर्गेनिक लोगो के प्रोमेशन हेतु अनुदान	एमओसी एमएआई मैंगो प्रोमेशन हेतु अनुदान (यूएसएपीएच–आईएस)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	137,328,025	-	191,062	32,700	(4,996,618)	(6,634,347)	209,803	325,910	(3,338,591)	(2,498,548)	120,624,396	137,707,180
ख. निधियों में वृद्धि												
I. अनुदान/दान	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	21,153,296
II. निधियों के किए गए निवेश से आय	14,937,890	-	16,718	2,861	-	-	18,358	28,517	-	-	15,004,344	9,761,915
III. अन्य वृद्धियां	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
योग (क+ख)	152,265,915	500,000	207,780	35,561	(4,996,618)	(6,634,347)	228,161	354,427	(3,338,591)	(2,493,548)	136,128,740	168,622,391
ग. निधियों के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय												
I. पूंजीगत व्यय												
- अचल आस्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- परियोजनाओं हेतु अनुदान जारी	26,279,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,279,120	47,984,545
योग	26,279,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,279,120	47,984,545
II. राजस्व व्यय												
- वेतन, मजदूरी, भत्ते इत्यादि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	15,105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,105	13,450
योग	15,105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,105	13,450
कुल योग (ग)	26,294,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,294,225	47,997,995
वर्ष की समाप्ति को शुद्ध–शेष (क+ख-ग)	125,971,690	500,000	207,780	35,561	(4,996,618)	(6,634,347)	228,161	354,427	(3,338,591)	(2,498,548)	109,834,515	120,624,396

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूचियाँ जो तुलनपत्र का अंश हैं

31 मार्च, 2015 की तिथि अनुसार

अनुसूची 4 – चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू देयताएं		
1. स्वीकृतियां	-	-
2. भुगतान योग्य दावे		
3. संविधानिक देयताएं		
क. बकाया		
ख. अन्य	1,893,859	1,787,343
4. अन्य चालू देयताएं	14,918,785	41,911,769
योग (क)	**16,812,644**	**43,699,112**
ख. प्रावधान		
1. कराधान (सेवा कर)	23,925,630	-
2. अनुतोष	41,760,216	36,706,525
3. संचित अवकाश नकदीकरण	27,404,246	23,655,900
4. अन्य – लीस रेन्ट हेतु प्रावधान	-	150,000
5. विद्युत	248,968	-
6. ऑडिट शुल्क	350,000	250,000
7. मंहगाई भत्ता	350,418	-
योग: रु ख)	**94,039,478**	**60,762,425**
योग: रु (क + ख)	**110,852,122**	**104,461,537**

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूचियाँ जो तुलनपत्र का अंश हैं

31 मार्च, 2015 की तिथि अनुसार

अनुसूची 5 – अचल आस्तियाँ

(राशि रु. में)

विवरण	दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
		लागत/मूल्यांकन वर्ष के प्रारंभ में	वृद्धि 180 दिनों से अधिक	वृद्धि 180 दिनों से कम	वर्षान्त के दौरान कटौतियाँ	लागत/मूल्यांकन वर्षान्त में	मूल्यह्रास 31.03.2013 तक	वृद्धि वर्ष के दौरान	कटौती/समायोजन वर्ष के दौरान	योग वर्षान्त तक	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
भवनः	10%											
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. लीजहोल्ड भूमि पर		228,040,676	-	-	-	228,040,676	163,654,947	6,438,573	-	170,093,520	57,947,156	64,385,729
ग. स्वामित्वाधीन फ्लैट/परिसर		2,902,481	-	-	-	2,902,481	2,142,611	75,987	-	2,218,598	683,883	759,870
घ. गुवाहाटी कार्यालय बिल्डिंग		26,373,250	-	-	-	26,373,250	1,318,663	2,505,459	-	3,824,122	22,549,128	25,054,587
ङ. मुंबई कार्यालय बिल्डिंग (देखें अनुसूची 18, संग्रह निधि)		-	9,071,000	-	-	9,071,000	-	230,573	6,765,274	6,995,847	2,075,153	-
प्लांट मशीनरी एवं उपस्कर	15%	1,568,200	-	-	-	1,568,200	1,461,701	15,975	-	1,477,676	90,524	106,499
वाहन	15%	2,381,656	-	931,959	96,362	3,217,253	1,949,985	120,193	-	2,070,178	1,147,075	431,671
फर्नीचर एवं फिक्सर	10%	2,564,473	58,503	375,925	-	2,998,901	1,327,410	148,353	-	1,475,763	1,523,138	1,237,063
कार्यालय उपस्कर	15%	10,032,050	1,201,987	1,314,282	34,200	12,514,119	7,031,910	723,760	-	7,755,670	4,758,449	3,000,140
कम्प्यूटर पेरीफैरल्स	60%	16,231,081	1,568,178	227,030	15,000	18,011,289	15,463,397	1,460,626	-	16,924,023	1,087,266	767,684
सॉफ्टवेयर	25%	519,750	-	327,672	-	847,422	129,938	138,412	-	268,350	579,072	389,812
चालू वर्ष का योग (क)		290,613,617	11,899,668	3,176,868	145,562	305,544,591	194,480,562	11,857,911	6,765,274	213,103,747	92,440,844	96,133,055
घटाएं: मूल्यह्रास में से केपिटल रिज़र्व (ख) [10440129*10%]*								1,044,013				
चालू वर्ष का योग (क–ख)		290,613,617	11,899,668	3,176,868	145,562	305,544,591	194,480,562	10,813,898	6,765,274	213,103,747	92,440,844	96,133,055
पिछले वर्ष का योग (ग)		286,003,706	1,933,041	27,731,457	25,054,587	290,613,617	186,532,237	10,224,562	2,276,237	194,480,562	96,133,055	99,471,469
घटाएं: मूल्यह्रास में से केपिटल रिज़र्व (घ)								1,160,014				
पिछले वर्ष का योग (ग–घ)		286,003,706	1,933,041	27,731,457	25,054,587	290,613,617	186,532,237	9,064,548	2,276,237	194,480,562	96,133,055	99,471,469

* वर्ष 2001–02 के दौरान एम ओ सी एण्ड आई से 4.41 करोड़ रुपए का आर्थिक अनुदान भवन को क्रय करने हेतु पूंजीगत व्यय के रुप में प्राप्त किया गया था तथा जिसे भवन के अन्तर्गत लीज होल्ड भूमि में सम्मिलित किया गया है। इस आर्थिक अनुदान की राशि को पूंजीगत रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है तथा तभी से प्रत्येक वर्ष पूंजीगत रिजर्व में 10 प्रतिशत की दर से मूल्य–ह्रास को लाभ आवंटन के तौर पर समायोजित किया गया है।

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूचियाँ जो तुलनपत्र का अंश हैं

31 मार्च, 2015 की तिथि अनुसार

अनुसूची 6 – निर्धारित/प्रदत्त निधियों से निवेश

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीटी एनईआर 1280	36,485,417	53,346,803
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एनईआर	85,316,303	78,051,048
योग : रु.	**121,801,720**	**131,397,851**

अनुसूची 7 – चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. **चालू आस्तियां**				
1. विविध देनदार		207,360		170,045
(विवरण समूहन 6 में दिया गया है)				
2. रोकड़ बाकी (चैकों/ड्राफ्टों इत्यादि सहित)		23,776		73,338
(विवरण समूहन 1 में दिया गया है)				
3. **बैंक शेष**				
क. अनुसूचित बैंकों में				
(विवरण समूहन 7 में दिया गया है)				
- चालू खातों में	(155,078,965)		(152,345,904)	
- जमा खातों में (मार्जिन धन सहित)	1,415,811,790		1,303,319,118	
- बचत खातों में	7,876,176	1,268,609,001	7,154,131	1,158,127,345
योग : रु.		**1,268,840,137**		**1,158,370,728**

आर.के.मंडल उप महाप्रबंधक	**ए.एस. नैय्यर** महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूचियाँ जो तुलनपत्र का अंश हैं

31 मार्च, 2013 की तिथि अनुसार

(राशि रु. में)

ख. ऋण एवं अग्रिम एवं अन्य आस्तियाँ				
1. ऋण:				
क. कर्मचारी (समूहन 2 में विस्तृत जानकारी)	3,962,684		2,810,271	
ख. अन्य वस्तुएं जो गतिविधियों / वस्तुओं के समान उद्देश्य में संलग्न हैं	-		-	
ग. अन्य (उल्लेख करें)	1,480,000	5,442,684	-	2,810,271
2. नकद में अथवा वस्तु रूप में अथवा मूल हेतु प्राप्त वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशियां				
क. पूंजीगत लेखे में	-		-	
ख. प्राप्तियां (समूहन 3 में विस्तृत जानकारी)	3,882,927		3,513,612	
ग. प्रतिभूति जमा (समूहन 4 में विस्तृत जानकारी)	1,389,551	5,272,478	778,311	4,291,923
3. आय में वृद्दि				
क. निर्धारित / प्रदत्त निधि से निवेश	4,625,970		4,625,970	
ख. निवेशों पर–अन्य	31,778,690		31,557,672	
ग. बीडीएफ एवं डब्ल्यूडीएफ की एफडी में निवेश	10,200,461	46,605,121	4,635,577	40,819,219
4. निधियों के विरूद्ध प्राप्त दावे	-	-	-	-
योग : रु. (ख)		57,320,283		47,921,413
योग : रु. (क + ख)		1,326,160,420		1,206,292,141

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूचियाँ जो आय और व्यय खाते का अंश हैं

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु

अनुसूची 8 – अनुदान / सहायिकी

(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान तथा सहायिकियाँ)

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केंद्रीय सरकार				
नियोजित आय	1,300,000,000		1,150,000,000	
गैर–नियोजित आय	10,000,000	1,310,000,000	10,000,000	1,160,000,000
2. राज्य सरकार (रें)	-	-		-
3. सरकारी एजेन्सियाँ	-	-		-
4. संस्थाएं / कल्याण निकायें	-	-		-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-		-
6. अन्य (विशेष पुष्पकृषि निधि)	-	-		-
योग : रु.		1,310,000,000		1,160,000,000

अनुसूची 9 – शुल्क / अंशदान

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. पंजीकरण शुल्क	22,191,044	19,808,708
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान	-	-
3. सेमिनार कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. बासमती चावल के निर्यात हेतु निविदाओं के पंजीकरण हेतु कार्यवाही शुल्क	105,663,718	95,986,534
योग : रु.	127,854,762	115,795,242

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूचियाँ जो आय और व्यय खाते का अंश हैं

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु

अनुसूची 10 – रायल्टी, प्रकाशनों इत्यादि से आयः

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रकाशनों से आय	12,750	5,452
योग : रु.	**12,750**	**5,452**

अनुसूची 11 – अर्जित ब्याजः

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क. अनुसूचित बैंकों में	102,822,697	88,247,383
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में		
ग. संस्थाओं में		
घ. अन्य		
2. बचत खातों पर		
क. अनुसूचित बैंकों पर	147,777	43,698
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में		
ग. डाकघर बचत खातों में		
घ. अन्य		
3. ऋणों पर		
क. कर्मचारी/स्टाफ		
ख. अन्य		
4. देनदारों तथा अन्य प्राप्ति योग्य पर ब्याज	-	-
योग : रु.	**102,970,474**	**88,291,081**

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूचियाँ जो आय और व्यय खाते का अंश हैं

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु

अनुसूची 12 – अन्य आय

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. आस्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क. स्वाधिकृत आस्तियाँ		
ख. अनुदानों से अर्जित, अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई आस्तियाँ		
2. प्राप्त की गई निर्यात प्रोत्साहन राशियां	-	-
3. विविध सेवाओं हेतु शुल्क	88,694,767	83,713,610
4. विविध आय	-	-
योग : रु.	**88,694,767**	**83,713,610**

अनुसूची 13 – प्रतिष्ठापन व्यय:

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. वेतन और मजदूरी	26,030,949	25,298,222
ख. भत्ते और बोनस (समूहन 8 में विस्तृत जानकारी दी गई हैं)	42,252,350	38,460,813
ग. भविष्य निधि हेतु अंशदान	5,992,489	5,521,375
घ. अन्य कोषों में अंशदान (उल्लेख करें)	-	-
ड. कर्मचारी कल्याण व्यय	30,299	50,736
च. कर्मचारियों की सेवानिवृति एवं सेवा समाप्ति पर व्यय (समूहन 9 में विस्तृत विवरण)	16,474,364	7,235,769
छ. प्रशासनिक प्रभार	10,061,546	4,048,032
ज. मानदेय	18,500	36,100
योग : रु.	**100,860,497**	**80,651,047**

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूचियाँ जो आय और व्यय खाते का अंश हैं

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु

अनुसूची 14 – अन्य प्रशासनिक व्यय:

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. बिजली एवं शक्ति		3,296,218		2,812,163
ख. बीमा		52,310		84,598
ग. मरम्मत एवं अनुरक्षण (विस्तृत जानकारी ग्रुपिंग 10 में)		6,193,906		5,901,449
घ. किराया, दरें और अनुरक्षण		2,601,494		1,745,840
ङ. वाहन चालन और अनुरक्षण		3,625,852		2,941,088
च. डाक व्यय टेलीफोन तथा संचार शुल्क (विस्तृत जानकारी ग्रुपिंग 11 में)		3,061,570		3,297,302
छ. मुद्रण एवं स्टेशनरी		2,783,799		2,337,389
ज. यात्रा एवं भाड़ा व्यय (विस्तृत जानकारी ग्रुपिंग 12 में)		10,293,777		7,979,596
झ. समाचार पत्र व्यय		312,147		299,731
ञ. बैठक पर व्यय एवं शुल्क		3,477,771		2,253,136
ट. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		350,000		463,960
ठ. कम्प्यूटर उपभोज्य		98,198		154,114
ड. विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क		1,023,785		1,931,520
ढ. फोटोकापी प्रभार		201,025		66,636
ण. वार्षिक अंशदान प्रभार		273,487		43,185
त. विज्ञापन व्यय		259,243		-
थ. अन्य विविध व्यय		82,706		-
द. सेवा कर				
अ. सेवा कर भुगतान	31,688,777			
ब. सेवा कर हेतु–प्रावधान	23,925,630	55,614,407		-
ध. कार की बिक्री पर हुई हानि		54,717		-
न. कार्यालय व्यय		14,270		44,503
योग : रू.		93,670,682		32,356,210

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूचियाँ जो आय और व्यय खाते का अंश हैं

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु

अनुसूची 15 – अनुदानों, सहायिकियों इत्यादि पर व्ययः

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
संस्थानों / संगठनों को दी गई सहायता				
परिवहन सहायता	558,769,689		566,840,357	
अवसंरचना का विकास	450,000,000		379,141,847	
बाजार विकास	210,225,122		170,860,008	
गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली	81,014,203		33,174,476	
अनुसंधान एवं विकास के प्रयास	-		-	
विशेष पुष्प कृषि निधि	-	1,300,009,014	-	1,150,016,688
योग : रु.		**1,300,009,014**		**1,150,016,688**

अनुसूची 16 – वित्तीय प्रभार

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बैंक प्रभार	65,713	49,120
योग : रु.	**65,713**	**49,120**

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

प्राप्ति और भुगतान लेखा

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष अग्रनीत			व्यय :		
हांथ में नकदी	73,338	59,833	प्रतिष्ठापन एवं प्रशासनिक व्यय	194,531,179	35,795,093
बैंक शेष					
चालू खातों में	(152,345,904)	214,654,906	निधियों से विभिन्न परियोजनाओं हेतु किए गए भुगतान		
जमा खातों में	1,434,716,969	849,217,945	परिवहन सहायता	558,769,689	566,840,357
बचत खातों में	7,154,131	937,721	अवसंरचना	450,000,000	379,141,847
अनुदान से प्राप्त			बाजार विकास	210,225,122	170,860,008
भारत सरकार से			गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली	81,014,203	33,174,476
योजना स्कीमों हेतु	1,300,000,000	1,150,000,000	अनुसंधान एवं विकास प्रयास	-	-
गैर योजना व्यय हेतु	10,000,000	10,000,000			
पूंजीगत व्यय हेतु	-	-	निवेश एवं जमा:		
एनईआर विकास निधि हेतु	-	-	निर्धारित/प्रदत्त निधि	121,801,720	-
विशिष्ट निधियों हेतु	500,000	19,584,596	स्व निधियां	-	-
राज्य सरकार से	-	-			
अन्य स्रोतों से (विशेष पुष्पकृषि निधि)	-	-	अचल परिसंपत्तियों पर व्यय एवं प्रगति अधीन प्रधान कार्य		
निवेश पर ब्याज			अचल परिसंपत्तियों का क्रय	6,005,536	1,799,729
निर्धारित/प्रदत्त निधि	15,004,344	-			
स्व निधियां	3,983,429	-	विशिष्ठ अनुदान/निधि के समक्ष भुगतान		
			एनबीडी निधि हेतु भुगतान	15,820,606	-
प्राप्त ब्याज			एनईआर निधि हेतु भुगतान	26,294,225	1,971,513
बैंक जमा	97,184,572	8,733,601	विशिष्ट अनुदान के समक्ष भुगतान	-	3,169,192
ऋण और अग्रिम इत्यादि	312,577	-	अनुपयोग भुगतान के समक्ष भुगतान	1,600,000	-
			बीडीएफ निधि हेतु भुगतान	-	-
आय			प्रदत्त वित्त प्रभार (ब्याज)		
बासमती चावल के निर्यात हेतु निविदाओं के पंजीकरण हेतु शुल्क	105,663,718	95,819,406	बैंक प्रभार	65,713	-
पंजीकरण शुल्क	22,191,044	19,808,708			
प्रकाशनों की बिक्री	12,750	5,452	अन्य भुगतान		
एनबीडी निधि से प्राप्ति	-	-	अग्रिम/ऋण, स्टाफ के	13,012,091	14,752,569
विविध प्राप्तियां	88,382,190	31,524,260	बकाया देयताओं हेतु भुगतान	26,886,468	53,645,661
पूर्व अवधि आय	8,620	166,374	लेनदारों का भुगतान	-	-
उधार ली गई राशि			अन्य जमा एवं चालू आस्तियाँ	1,480,000	65,975
अनुपयोगकृत अनुदान			स्टाफ/अन्य पार्टियां		
अन्य प्राप्तियां			से कटौतियों के समक्ष भुगतान	-	-
कर वापसी	-	-	अनुषंगी लाभ कर	-	-
कर्मचारियों द्वारा लिए गये ऋण की वापसी से प्राप्तियां	11,859,678	6,196,790	पूर्व अवधि व्यय	966,872	-
देनदारों से प्राप्तियां	(1,017,870)	258,992			
देनदारों से प्राप्तियां (बीडीएफ)	-	-	अंतिम शेष		
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि	33,277,053	37,457,132	हांथ में नकदी	23,776	73,338
आस्तियों की बिक्री	145,562	-	बैंक में शेष		
जमा–एफ डी	-	106,389,238	चालू खातों में	(155,078,965)	(152,345,904)
कर्मचारियों/अन्य पार्टियों को भुगतान कटौती	-	-	जमा खातों में	1,415,811,790	1,434,716,969
निर्यातकों/अन्य से अन्य प्राप्तियां	-	-	बचत खातों में	7,876,176	7,154,131
सरकारी निकायों से प्रोत्साहन गतिविधियों हेतु	-	-			
योग : रु.	2,902,157,069	2,706,897,716	योग : रु.	2,977,106,201	2,550,814,954

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

समूहन जो तुलनपत्र का अंश है

31 मार्च, 2015 की तिथि अनुसार

समूहन 1 – रोकड़ बाकी

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
रोकड़ बाकी		
चेन्नई कार्यालय	250	250
गुवाहाटी कार्यालय	1,152	920
भुवनेश्वर	189	189
दिल्ली	7,458	64,593
मुंबई	4,575	4,562
बैंगलुरु	5,286	299
कोलकाता	2,690	1,709
हैदराबाद	2,176	816
योग : रु.	**23,776**	**73,338**

समूहन 2 – कर्मचारियों को अग्रिम

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कर्मचारी को अग्रिम – यात्रा	106,565	49,327
कर्मचारी को अग्रिम – भवन निर्माण	341,197	449,921
कर्मचारी को अग्रिम – मोटर वाहन	161,386	198,826
कर्मचारी को अग्रिम – कम्प्यूटर	132,221	56,519
कर्मचारी को अग्रिम – अल्पावधि (फेस्ट एवं सर्ट)	96,375	91,650
कर्मचारी को अग्रिम – विविध	88,598	222,941
कर्मचारी को अग्रिम – एलटीसी	75,224	92,122
कर्मचारी को अग्रिम – चिकित्सा	2,879	(997)
कर्मचारी को अग्रिम – विदेश मुद्रा	2,958,533	1,649,877
कर्मचारी को अग्रिम – जी आई एस	(297)	85
कर्मचारी को अग्रिम – केनरा बैंक	3	-
योग : रु.	**3,962,684**	**2,810,272**

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
समूहन जो तुलनपत्र का अंश है

31 मार्च, 2015 की तिथि अनुसार

समूहन 3 – प्राप्तियां

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
टीडीएस – डब्ल्यूडीएफ से कटौती	244,233	244,233
टीडीएस – एसटीडी से कटौती	3,438,450	3,177,455
एफबीटी वापसी	25,949	25,949
एमएफपीआई से वसूली योग्य	-	-
प्रेस इण्डिया को अग्रिम	-	55,000
सेफ्रॉन मीडिया को अग्रिम	1,600	1,600
पूर्व प्रदत्त बीमा प्रभार	43,766	8,500
पूर्व प्रदत्त वार्षिक अंशदान प्रभार	128,929	875
योग : रु.	**3,882,927**	**3,513,612**

समूहन 4 – प्रतिभूति जमा

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
टेलीफोन	343,430	343,430
टेलेक्स	55,900	55,900
डीएवीपी	210,000	210,000
अन्य–सम्पदाओं / बीएमएस प्रभाग	17,100	17,100
पेट्रोल	51,881	51,881
सुरक्षा जमा प्राप्तियां	611,240	-
बीपीसीएल	100,000	100,000
योग : रु.	**1,389,551**	**778,311**

समूहन 5 – प्रतियोग्य दावा

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बाजार विकास सहायता निधि (एमडीए फंड)	-	-
योग : रु.	-	-

समूहन 6 – विविध देनदार

(राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राकेश मल्होत्रा	-	(1,500)
गल्फ कनेक्शन	16,545	16,545
रीगल बायो कैम, इंडिया	5,000	5,000
इंडियन एग्रो एक्सपोर्ट प्रा. लि.	150,000	150,000
भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण	35,815	-
योग : रु.	**207,360**	**170,045**

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

समूहन जो तुलनपत्र का अंश है

31 मार्च, 2015 की तिथि अनुसार

समूहन 7 – तुलन पत्र का समूहन

(राशि रु. में)

बैंक का नाम	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	चालू खाता शेष	सावधि जमा	कुल राशि	चालू खाता शेष	सावधि जमा	कुल राशि
सीए सीबी 1857	38,356	-	38,356	36,497	-	36,497
सीए सीबी बैंगलरु 2590	312,842	-	312,842	4,662,032	-	4,662,032
सीए सीबी हैदराबाद 2117	242,849	-	242,849	310,226	-	310,226
सीए सीबी मुंबई 6254	1,963,162	-	1,963,162	4,014,503	-	4,014,503
इंडियन ओवरसीज़ बैंक एफडी	-	122,146,210	122,146,210	-	112,185,091	112,185,091
आंध्रा बैंक – एनबीएफ, दिल्ली	-	15,029,907	15,029,907	-	13,755,910	13,755,910
केनरा बैंक, लखनऊ	(3,133)	-	(3,133)	(3,133)	-	(3,133)
केनरा बैंक, बेंगलुरु 0399	1,331,781	-	1,331,781	349,826	-	349,826
केनरा बैंक, बेंगलुरु, 2404	252,507	-	252,507	33,727,520	-	33,727,520
केनरा बैंक, बीडीएफ, 2365	19,409,357	406,222,461	425,631,818	2,274,170	294,883,517	297,157,687
केनरा बैंक, चेन्नई	900	-	900	900	-	900
केनरा बैंक, दिल्ली, 698	3,213,278	-	3,213,278	2,330,874	-	2,330,874
केनरा बैंक, गुवाहाटी	76,860	-	76,860	476,268	-	476,268
केनरा बैंक, हैदराबाद, 1519	453,400	-	453,400	244,450	-	244,450
केनरा बैंक, मुंबई एफडी, 6023	977,604	40,000,000	40,977,604	8,042,867	60,000,000	68,042,867
केनरा बैंक, पटना	(11,895)	-	(11,895)	(11,895)	-	(11,895)
केनरा बैंक, श्रीनगर	13,153	-	13,153	13,153	-	13,153
इंडियन बैंक, दिल्ली, 1567	48,485	22,545,572	22,594,057	1,595,013	59,658,089	61,253,102
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, एनबीडीएफ 1238	-	-	-	-	16,694,495	16,694,495
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, भुवनेश्वर	24,574	-	24,574	24,574	-	24,574
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, दिल्ली 0304	(192,489,400)	521,446,734	328,957,334	(214,356,698)	477,417,957	263,061,259
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, एनईआर 1280	409,486	-	409,486	626,145	-	626,145
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, एनबीआर 5780	3,015,184	-	3,015,184	1,241,058	-	1,241,058
एफडी–एसबीटी– बासमती पंजीकरण	-	267,300,000	267,300,000	-	249,400,000	249,400,000
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता	334,644	-	334,644	316,318	-	316,318
गुवाहाटी एनईआर (ईडीएफ) 02202	324,692	-	324,692	-	-	-
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एनईआर	-	-	-	-	-	-
डब्ल्यूडीएफ केनरा बैंक	-	20,993,471	20,993,471	-	19,207,621	19,207,621
योग : रु. (क)	**(160,061,314)**	**1,415,684,355**	**1,255,623,041**	**(154,085,331)**	**1,303,202,680**	**1,149,117,348**
एचडीएफसी बैंक 0022	-	127,435	127,435	55,000	116,438	171,438
आईसीआईसीआई बैंक 0842	4,982,349	-	4,982,349	1,684,428	-	1,684,428
आईडीबीआई बैंक (बचत खाता) 9476	7,876,176	-	7,876,176	7,154,131	-	7,154,131
योग : रु. (ख)	**12,858,525**	**127,435**	**12,985,960**	**8,893,559**	**116,438**	**9,009,997**
योग : रु. (क + ख)	**(147,202,789)**	**1,415,811,790**	**1,268,609,001**	**(145,191,772)**	**1,303,319,118**	**1,158,127,345**

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

समूहन जो तुलनपत्र का अंश है

31 मार्च, 2015 की तिथि अनुसार

समूहन 8 – भत्ते एवं बोनस (राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मंहगाई भत्ता	23,320,099	18,634,992
समयोपरि भत्ता	10,796	13,267
अन्य भत्ते	5,864,948	6,667,535
अवकाश यात्रा भत्ता	1,155,458	659,651
परिवहन भत्ता	4,107,837	3,329,426
चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	5,811,859	6,432,118
बोनस	313,193	309,656
शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	1,121,135	1,025,153
अन्य प्रशासनिक प्रभार	547,025	1,389,015
योग : रू.	**42,252,350**	**38,460,813**

समूहन 9 – कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवासमाप्ति पर व्यय (राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुतोष	9,293,555	4,494,885
अवकाश नकदीकरण	7,180,809	2,740,884
योग : रु.	**16,474,364**	**7,235,769**

समूहन 10 – मरम्मत एवं अनुरक्षण (राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कार्यालय परिसर	4,295,661	3,333,945
कार्यालय उपस्कर	896,679	1,253,984
एशियाड गांव	84,901	42,254
स्टाफ कार	916,665	1,271,266
योग : रु.	**6,193,906**	**5,901,449**

समूहन 11 – डाकखर्च, टेलीफोन एवं संचार प्रभार (राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कार्यालय टेलीफोन प्रभार	2,225,327	2,623,533
आवासी टेलीफोन प्रभार	242,233	237,393
डाकखर्च एवं कोरियर	594,010	436,376
योग : रु.	**3,061,570**	**3,297,302**

समूहन 12 – यात्रा एवं भाड़ा (राशि रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
यात्रा शुल्क	8,862,867	6,577,177
परिवहन सुविधा	1,430,910	1,402,419
योग : रु.	**10,293,777**	**7,979,596**

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

समूहन जो तुलनपत्र का अंश है

31 मार्च, 2015 की तिथि अनुसार

(राशि रु. में)

1. वेतन एवं पारिश्रमिक	2014-15
मूल वेतन	21,611,793
वेतन अनुबंध	4,419,156
कुल रूपए	**26,030,949**

2. सांविधिक देयताएं	2014-15
ईपीएफ में कर्मचारी योगदान	81,005
श्रम सेस	30,047
टीडीएस कर्मचारी	389,632
टीडीएस संविदा	330,107
टीडीएस किराया	635,290
टीडीएस व्यावसायिक	427,778
कुल रूपए	**1,893,859**

3. अन्य चालू देयताएं	2014-15
बकाया शिक्षण शुल्क	9,000
जल बिंदु (वाटर पांइट)	17,699
वी एन कुट्टी	36,000
तेजबीर	35,328
एम टी एस	1,689
असम स्टेट को–ओपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन को देय	1,318,663
अनिल कुमार कौशल को देय	375
बीडीएफ को देय	122,358
अशोका सर्विस स्टेशन	101,522
क्रेयोन्स विज्ञापन लिमिटेड	(201)
एमटीएनएल	64,087
नियोटेरिक इन्फोमेटिक लिमिटेड	757,308
राजधानी फर्निशर एंड इंटीरियर	297,834
टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड	10,000
विविड इंडिया एडवरटाजिंग प्रा. लि.	(3,278)
कौशल बिष्ट	7,362
निदेशक, नई दिल्ली एच पी ओ	27,405
देय वेतन	-
आवासीय किराया	(950)
वाणिज्य मंत्रालय को देय	3,429,333
सुरक्ष जमा देय	613,486

(राशि रु. में)

एल पी जे एस एल जी	585,000
ग्लोबल एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट	112,326
एपी एच आई एस (यूएसडीए)	8,214,114
वाची इंटरनेशनल	(3)
एपीडा कर्मचारी क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट सोसाइटी	148,013
नेशनल को–ओपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया	430,315
डब्ल्यू ए पी सी आ एस	(1,422,000)
राकेश मल्होत्रा	6,000
योग : रू.	**14,918,785**

4. विविध सेवाओं हेतु शुल्क	2014-15
प्रत्यापन शुल्क	1,640,744
विज्ञापन	-
पुष्पोत्पादन परियोजना	-
सामान्य	303,704
ग्रेपनेट शुल्क	-
एचएसीसीपी पंजीकरण शुल्क	45,000
प्रयोगशाला मान्यता	445,000
बाजार विकास	-
मांस संयंत्र	5,285,790
एन बी आर कार्बनिक	96,812
एन ई आर 2% कार्यवाही शुल्क	1,250,000
एन ए बी आदेश	-
एपीडा एन बी आर	-
स्टॉफ से ब्याज	312,577
जैविक से	353,923
पैक–हाऊस	1,785,000
सूचना का अधिकार	15,397
चीनी (आयात)	19,418,029
सर्विलांस शुल्क	-
कार्यवाही शुल्क (5%)	57,502,656
ईरान को निर्यात बासमती चावल	238,000
जैविक दालें/खाद्य तेल	2,135
योग रूपए	**88,694,767**

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1) लेखे की परम्परागत गणना

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा और संचित लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है जब तक की अन्यथा वर्णित न हो।

राजस्व अभिज्ञान

क) वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त सहायता को प्राप्त आधार पर राजस्व आय माना गया है। किए गए व्यय को रिजर्व व्यय के तौर पर माना गया है।

ख) जमाराशियों पर ब्याज उद्‌भवन आधार पर लेखाबद्ध किए गए है।

ग) प्राप्त किया गया पंजीकरण शुल्क राजस्व आय माना गया है।

2) वस्तुसूची का मूल्यांकन

एपीडा न तो किसी उत्पादन कार्यकलाप और न किसी व्यापार क्रियाकलाप में कार्यरत है, अतः उसे किसी स्टोक रिकार्ड रखना अपेक्षित नहीं है।

3) निवेश

निर्धारित निधियों से प्राप्त एफडीआर को अलग से निर्धारित/प्रदत्त निधि (अनुसूची–6) से प्राप्त निवेश के रूप में दर्शाया गया है तथा उन पर प्राप्त ब्याज को सीएजी के परामर्शनुसार निधि में जोड़ दिया गया है। अन्य स्थायी जमा खातों में किए गए निवेश को समूहन–7 के अंतर्गत बैंक जमा खातों में दर्शाया गया है।

4) पुनर्वर्गीकरण

आवश्यकतानुसार गत वर्ष के आंकड़े पुर्नसमूहित पुर्नवर्गीकृत किए गए हैं।

5) स्थायी परिसम्पत्तियां

स्थायी परिसंम्पत्तियों का उल्लेख उनके अधिग्रहण की लागत पर किया गया है जिसमें लागत भाड़ा शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से सम्बंधित प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं। जिस परियोजना में विनिर्माण शामिल है, संचालन से पूर्व सम्बंधित व्यय (परियोजना के पूरा होने से पहले विशेष परियोजना हेतु ऋण पर ब्याज भी शामिल है) सम्पत्ति की परिणित कीमत का अंगभूत भाग है।

वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त मुद्रा अनुदान से अधिग्रहित स्थायी सम्पत्ति परिणित (पूंजीकृत) अधिग्रहित कीमत पर किया गया है।

स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु विशेष रूप से सरकार से प्राप्त अनुदान को परिणित (उपयोग) किया गया है तथा इसके अनुकूल बराबर/सदृश धनराशि को पूंजी आरक्षित लेखे में रखा गया है। ऐसी स्थायी परिसम्पत्तियों पर लागू दर से वसूला जा रहा है और इसके बराबर धनराशि ऐसी पूंजी आरक्षित में कम कर दी गयी है।

6) मूल्यह्रास

मूल्यह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 में दी गई दरों पर अपलिखित मूल्य आधार पर किया गया है।

आर.के.मंडल	**ए.एस. नैय्यर**
उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक

7) सरकारी अनुदान / सब्सिडी

सरकारी अनुदान / सहायता को प्राप्ति आधार पर लेखे में उल्लेखित किया है। विशेष परियोजना के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को निर्धारित निधि के अंतर्गत दिखाया गया है तथा उपयोग के साथ संबंधित व्यय केवल सम्बंधित निधियों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए हैं।

8) समूह / पूंजीगत निधियां

चालू वर्ष की व्यय से अधिक आय की अधिक राशि को समूह / पूंजीगत निधियों में स्थानांतरित किया गया है।

9) विदेशी मुद्रा लेन–देन (कार्य निष्पादन)

विदेशी मुद्रा में किए गए लेन–देन की तिथि को विद्यमान विनियम दर पर लेखाबद्ध किए गए है।

चालू परिसम्पत्तियों, विदेशी मुद्रा में ऋण और चालू देयताओं को तुलन पत्र की तिथि को वर्ष के अंत में विद्यमान विदेशी मुद्रा का विनिमय दर पर बदला गया है तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि को स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत में समायोजित किया गया है, यदि विदेशी मुद्रा की देयता स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित है। अन्य मामलों में इसे राजस्व माना गया है।

10) सेवानिवृत्ति लाभ

सभी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पूरे वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन के वेतन के आधार पर ग्रेच्यूटी का प्रावधान किया गया है कर्मचारी की मृत्यु / सेवानिवृति पर देय ग्रेच्युटी कर्मचारियों को संपूर्ण देयता का भुगतान वर्ष के अंत में किया जाना है।

संग्रहित छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान यह मानकर किया गया है कि कर्मचारी उसका लाभ वर्ष के अंत में प्राप्त करने के पात्र होंगे।

11) आरक्षित एवं अधिशेष

गेहूं विकास कोष और गैर बासमती विकास कोष के लिए धनराशि निर्यातकों से प्राप्त हुई है जिसे विशेष आरक्षित के रूप में दिखाया गया है जिसे लौटा दिया जायेगा। इन कोषों से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित कोष में स्थानान्तरण कर दिया गया है। जैसा कि सीएजी ने परामर्श दिया था।

12) निर्धारित / प्रदत्त निधि

वर्ष के दौरान, एनईआर निधि के अतिरिक्त, उद्दिष्ट निधियों के स्थायी जमा खातों पर प्राप्त ब्याज को, सीएजी के परामर्शनुसार क्रमिक उद्दिष्ट निधि में स्थानांन्तरित किया गया है। अनुद्दिष्ट एफडीआर के संदर्भ में ब्याज दर 8.75% प्रतिवर्ष पूर्वानुमानित की गई है।

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
अनुसूची 18
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आकस्मिक देयताएं		
तत्वों के समस्त दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण नहीं माना गया है–		
अंगूर निर्यातकों द्वारा हानि की क्षतिपूर्ति हेतु किए गए दावे	रू. 31.24 करोड़	रु. शून्य
निम्नलिखित के संबंध में		
एपीडा द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटियां	रु. शून्य	रु. शून्य
एपीडा की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख–पत्र	रु. शून्य	रु. शून्य
बैंक द्वारा बट्टा किए गए बिल	रु. शून्य	रु. शून्य
निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांग–		
आयकर	रु. शून्य	रु. शून्य
म्यूनिसिपल कर	रु. शून्य	रु. शून्य
सेवा कर	रु. 8.85 करोड़	रु. शून्य

(*वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि हेतु सेवाकर आयुक्त, दिल्ली द्वारा सेवाकर की मांग में 12.02 करोड़ रूपए की वृद्धि की गई है। जिनमें से 01.07.2012 से 31.03.2014 तक की समयावधि हेतु 3.17 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।)

निष्पादन नहीं किए जाने के संबंध में पार्टियों से दावे, किन्तु एपीडा द्वारा विरोधकृत	रु. शून्य	रु. शून्य
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं		
पूंजी खाते पर निष्पादन हेतु बकाया और प्रावधान नहीं किया गया संविदाओं पर अनुमानित मूल्य (अग्रिमों का शुद्ध)	रु. शून्य	रु. शून्य
पट्टा दायित्व		
प्लांट एवं मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अधीन किराया हेतु भावी दायित्व राशि	रु. शून्य	रु. शून्य

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन के विचार में व्यापार के सामान्य तरीके से वसूली के पश्चात चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों तथा अग्रिम का मूल्य उतना ही है जितनी की धन राशि तुलन–पत्र में दर्शायी गई है।

कराधान

अ) एपीडा की आय आयकर अधिनियम 1961 के आयकर यू/एस 10 (29ए) के तहत छूट प्राप्त हैं अतः आयकर के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया।

(ब) वर्ष के दौरान, एपीडा द्वारा 01.07.2012 से 31.03.2014 की समयावधि हेतु विभिन्न प्राप्तियों पर 3.17 करोड़ रूपए के सेवाकर का भुगतान किया गया है।

(स) चालू वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान 2.39 करोड़ रूपए के सेवाकर का प्रावधान किया गया है।

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विदेशी मुद्रा लेन–देन		
सीआईएफ आधार पर कलित आयातों का मूल्य%		
तैयार माल की खरीद	रु. शून्य	रु. शून्य

कच्चा माल और संघटक		
(ट्रांजिट सहित)	रु. शून्य	रु. शून्य
पूंजीगत सामान	रु. शून्य	रु. शून्य
सामग्री स्पेयर्स तथा उपभोज्य		
विदेशी मुद्रा में व्यय		
वित्तीय संस्थाओं / बैंकों को विदेशी मुद्रा		
में भेजी गई धनराशि तथा ब्याज का भुगतान	रु. शून्य	रु. शून्य
अन्य व्यय		
प्रवर्तन गतिविधियां	रु. 9,85,49,153	रु. 9,46,63,378
(प्रतिनिधि दल के दौरे, विदेश यात्रा सहित)		
कानूनी तथा व्यावसायिक व्यय	रु. शून्य	रु. शून्य
पुस्तकें तथा साहित्य	रु. 5,98,868	रु. 8,58,177
अवसंरचना विकास, पूंजीगत परियोजना	रु. शून्य	रु. शून्य
अर्जित		
एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	रु. शून्य	रु. शून्य
लेखापरीक्षकों हेतु पारिश्रमिक का प्रावधान		
लेखा शुल्क (आईएएडी)	रु.3,50,000	रु. 2,50,000

समूह / पूंजी निधि समायोजन–सकल राशि **रु. 7,05,726** **रु. 38,19,372**

अ) वर्ष 2013–14 में, गुजरात (जी ए आई सी) में अवसंरचना विकास के संदर्भ में रु. 3.20 लाख के अनुदान पर रु. 16 लाख का कार्यवाही शुलक, चूंकि एम ओ सी एण्ड आई को प्रत्यर्पणीय राशि है, अतः उपरोक्त राशि को चालू देयताओं में मूलवश नहीं दर्शाया गया है।
अब, प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किए जाने के उपरोक्त राशि को पूंजीगत निधि समायोजन के रुप में दर्शाया गया है। चालू देयता के रुप में दर्शाया गया है। चालू देयता के रुप में दर्शायी गई राशि एम ओ सी एण्ड आई के प्रत्र्यपणीय राशि है।

ख) वर्ष 2000–01 के दौरान, एपीडा ने मुंबई कार्यालय में सी आई डी सी ओ लिमिटेड से भवन उपार्जित किया था तथा उस समय इसे नियोजन योजना के तहत बुक किया था। सी ए जी के परामर्शनुसार, दिनांक 01.04.2014 को भवन के डब्ल्यू डी वी को आवश्यक संशोधित प्रविष्टियों द्वारा पूंजी में परिणित करके तद्नुरूप 23,05,726 रूपए की राशि को पूंजीनिधि में अनुकूल समायोजन द्वारा हस्तांतरित किया गया है।

पूर्वावधि आय **रू. 8,620*** **रू. 9,51,667**

क) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, एस बी टी खाता संख्या 304 में 6,167 रूपए की राशि गत वर्षावधि से संबंधित स्थायी जमा खाते पर ब्याज के रूप में प्राप्त हुई। उपयुक्त राशि को पूर्वावधि आय में स्थानांतरित किया गया है।

ख) वित्तीय वर्ष 2014–15 में कैनरा बैंक खाता सं.–2365 में 594 रूपए की राशि गत वर्ष विधि से संबंधित स्थायी जमा खाते पर ब्याज के रूप में प्राप्त हुई। उपयुक्त राशि को पूर्वाविधि आय में स्थानांतरित किया गया है।

ग) एपीडा गेहूं उन्नयन बैंक (व्हीट प्रोमोशन बैंक) खाते में न्यूनतम प्रतिवर्ती जमा के रूप में 1,859 रूपए की राशि प्राप्त हुई। उपयुक्त राशि को पूर्वावधि आय में स्थानांतरित किया गया है।

पूर्वावधि व्यय **रू. 9,66,872*** **रू. शून्य**

क) वर्ष के दौरान, गत वर्षावधि हेतु आन्ध्र प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड को किराए का देय राशि के बकाया 41,940 रूपए का भुगतान किया गया। उपयुक्त राशि को पूर्वावधि व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

ख) वर्ष के दौरान, गत वर्ष हेतु एन सी यू आई को विद्युत प्रभार की देय राशि 1,40,728 रूपए का भुगतान किया गया। उपयुक्त राशि को पूर्वावधि व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान, गत वर्ष हेतु महालेखापरीक्षण हेतु लेखापाल को 3,70,065 रूपए के लेखापरीक्षण शुल्क का भुगतान किया गया। पूर्व वर्षो में इस निमित्त भाग 2,50,000 रूपए का प्रावधान किया गया था अतः वर्ष के दौरान शेष देय राशि 1,20,065 को पूर्वावधि व्यय के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया।

घ) वर्ष के दौरान, गत वर्ष हेतु विभिन्न परामर्शदाताओं को प्रतिधारक शुल्क से संबंधित 89,000 रूपए की राशि तथा बैठक व्यय के 32,085 रूपए की राशि का भुगतान किया गया। उपयुक्त राशि को पूर्वावधि व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

ड) वर्ष के दौरान, वर्ष 2013–14 से संबंधित मंहगाई भत्ते का देय राशि 5.43 लाख रूपए का भुगतान किया गया। उपयुक्त राशि को पूर्वावधि व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

1–18 तक अनुसूचियाँ 31 मार्च, 2015 का तिथि के अनुसार तुलनपत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के साथ संलग्न की गई हैं तथा उसका पूरक अंश हैं।

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
आकस्मिक देयताएं और विस्तृत लेखा टिप्पणियां

पिछले वित्तीय वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 हेतु

(रु. लाख में)

व्यय मद	2013–14 के दौरान व्यस	2014–2015 के दौरान व्यय	प्रतिशत कमी/वृद्धि	वृद्धि/कमी हेतु कारण
भत्ते एवं बोनस	384.61	422.52	9.86% वृद्धि	वार्षिक वेतन वृद्धि तथा तद्नुरुप महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण हुई बढोत्तरी
भविष्य निधि अंशदान	55.21	59.92	8.53% वृद्धि	वार्षिक वेतन वृद्धि तथा भत्तों में हुई वृद्धि के कारण हुई बढोत्तरी
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति के लाभों पर व्यय	72.36	164.74	100% से अधिक वृद्धि	वेतन तथा महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि तथा कर्मचारियों की सेवा–निवृत्ति के कारण हुई बढोत्तरी
विद्युत एवं ऊर्जा	28.12	32.96	17.21% वृद्धि	विद्युत प्रभार के प्रावधान की वृद्धि के कारण।
मरम्मत एवं रख–रखाव	59.01	61.94	4.97% वृद्धि	सामान्य प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मरम्मत लागत के कारण।
किराया, दरें एवं कर	17.46	26.01	48.97% वृद्धि	किराया बकाया देयराशि के भुगतान की वृद्धि के कारण।
डाकखर्च, टेलीफोन एवं संचार प्रभार	32.97	30.62	-7.13% कमी	एपीडा और सरकार द्वारा किये गये उपायों के कारण कमी।
यात्रा एवं वाहन	79.8	102.94	29.00% वृद्धि	वृद्धि ईंधन एवं बाजार प्रोत्साहन गतिविधियों के बढ़े शुल्क के कारण है।
समाचार पत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	2.99	3.12	4.35% वृद्धि	अधिक पुस्तकें एवं पत्र–पत्रिकाएं खरीदने के कारण हुई वृद्धि।
बैठक तथा भागीदारी शुल्क/प्रभार पर व्यय	22.53	34.78	54.37% वृद्धि	बाजार संवर्धन कार्य कलापों के कारण वृद्धि।
कम्प्यूटर कंज्यूमेबल्स	1.54	0.98	-36.36% की कमी	एपीडा द्वारा कार्यान्वित उपभोग्य में कमी के कारण है।
विधिक और व्यवसायिक प्रभार	19.32	10.24	-47.00% की कमी	कम संख्या में विधि मामलों तथा वर्ष के दौरान लिए गये परामर्श के कारण कमी।
योग	**775.92**	**950.77**	**22.53%**	

आर.के.मंडल
उप महाप्रबंधक

ए.एस. नैय्यर
महाप्रबंधक

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, (खेल गांव के सामने), नई दिल्ली – 110016
दूरभाषः 26513204, 26513219, 26526186 | फैक्सः 26534870 | ई–मेलः headq@apeda.gov.in

3rd floor, NCUI Building, 3 Siri Institutional Area, August Kranti Marg (Opp. Asiad Village), New Delhi-110016
Phone: 26513204, 26513219, 26526186, Fax: 26534870, E-mail:headq@apeda.gov.in

Saffron Communications